(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1108–एक/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–4–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 162/निगरानी/97–98.

1. शीतली पुत्री वघोलन साहू
2. श्रीराम
3. म्नीराम दोनों पिता मोहन साहू
   सभी निवासी ग्राम कोटिया तह0 सिंगरौली
   जिला सीधी म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1. उदसिया पुत्री वघोलन पत्नी मोतीलाल साहू
   निवासी ग्राम कोटिया तह0 सिंगरौली
   जिला सीधी म0प्र0
2. रमदसिया (मृतक) पुत्री बघोलन साहू पत्नी
   रामाधार साहू ग्रम कोटिया
   वारिसान
   2(अ) धनेश पुत्र रामाधर साहू
   निवासी ग्राम ढोंटी तहसील सिंगरौली
   2(ब) पानपती (पुत्री) पत्नी लखपति साहू
   निवासी ग्राम चाचर तह0 सिंगरौली
   2(स) फुलवा पत्नी रामप्यारे साहू
   हाल मुकाम नवजीवन विहार (विन्ध्यनगर)
   सिंगरौली
   2(द) मुन्नी पत्नी गोतम साहू,
   निवासी ग्राम टूसा, तहसील सिंगरौली
   2(इ) लोली पत्नी वृजलाल साहू
   निवासी ग्राम कोटिया तहसील सिंगरौली

3. छोटकी पुत्री वघोलन पत्नी रामलगन साहू
   निवासी ग्राम कोटिया तहसील सिंगरौली
   जिला सीधी म0प्र0
4. रजौआ पुत्री वघोलन पत्नी गहरू साहू
   निवासी ग्राम करकोटा तहसील सिंगरौली
   जिला सीधी म0प्र0

तहसील शाढोरा जिला अशोकनगर म0प्र0

———अनावेदकगण

— — — — — —

श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

— — — — — —

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 4 अगस्त 2015)

— — — — —

आवेदकों द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 26—4—2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता की मां कंतलिया एवं आवेदिका ने आवेदिका के दोनों पुत्रों श्रीराम एवं मनीराम को दान में भूमि दी थी जिसके आधार पर आवेदिका शीतली के दोनों पुत्रों का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हो गया। परन्तु तहसीलदार ने जांच कर धारा 115/116 के अन्तर्गत कार्यवाही कर उक्त नामान्तरण निरस्त कर कंतलिया के अन्य वारिसों के नाम दर्ज कर दिया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर को निगरानी की गई। निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 2—1—98 द्वारा निरस्त कर दी गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अपर आयुक्त को निगरानी की गई। अपर आयुक्त द्वारा भी दिनांक 26—4—2001 को अपर कलेक्टर का आदेश विधि अनुकूल माते हुये स्थिर रखा गया तथा

याचिका निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

3/ याचिकाकर्ता अभिभाषक के तर्क सुने तथा उसके द्वारा याचिका तथा उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकट होता है कि विचाराधीन भूमि को कंतलिया तथा उसकी एक पुत्री शीतली द्वारा शीतली के पुत्र श्रीराम तथा मनीराम के नाम पर दान में दी गई परन्तु वास्तव में उक्त भूमि का भूमिस्वामी कंतलिया का पति तथा आवेदिका शीतली का पिता बघोलन के नाम से दर्ज थी। अपर आयुक्त के आदेश से यह प्रकट होता है कि बघोलन के मृत्यु के उपरांत वादग्रस्त भूमि मृतक के विधवा कंतलिया तथा उसके पुत्रियां उदसिया, रमदसिया, छोटकी, रजऊआ एवं शीतली के हित में अन्तरित हुई थी जो कि मृतक बघोलन के वारिस थे। मृतक बघोलन के विधिक वारिसान के स्थान पर केवल पुत्री शीतली के पुत्र श्रीराम तथा मनीराम के नाम खसरों में दर्ज कर दिया जिसे याचिकाकर्ता शीतली द्वारा दानपत्र पर देना बताया गया है। इसलिए उक्त त्रुटि को धारा 115/116 में सुधार के आदेश दिये गये, जो कि उचित था। अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों अपर कलैक्टर एवं नायब तहसीलदार के आदेश को उचित मानते हुये याचिका खारिज की है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः इस निगरानी में कोई वैधानिक बिन्दु निहित नहीं होने के कारण ग्राह्यता के आधार नहीं होने से निरस्त कर समाप्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर